न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर, देहरादून।

धारा 152 BNSS के अन्तर्गत पारित सशर्त आदेश

वाद संख्या– 06/2025 धारा 152 **BNSS**

थाना– डोईवाला

सरकार

विरूद्ध

1– निदेशक पी0 आई0 यू0, (NHAI) कैम्प कार्यालय– 171/1 बसंत विहार चकराता रोड़ देहरादून।

2– प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून।

3– अधिशासी अभियन्ता एन0एच0, खण्ड डोईवाला, पता– KIA Motors के सामने हरिद्वार बाईपास रोड़ देहरादून।

क्षेत्र भ्रमण एवं तहसीलदार डोईवाला जनपद देहरादून की आख्या के अनुसार एवं जनमानस के द्वारा अवगत कराये जाने पर संज्ञान में आया है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड़ एवं लाल तप्पड सड़क के दोनों ओर जंगल से लगते हुये क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र पर जगह–जगह कूडे (खाद्य पदार्थो के खाली पैकेट, प्लास्टिक की बोतले, प्लास्टिक की पन्नियां आदि) के ढेर लगे हुये है। जिस कारण आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त स्थलों पर जगह–जगह कूडे के ढेर होने के कारण इन मार्गो पर संक्रमित बीमारियों का जोखिम, पर्यावरण प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण तथा बन्दरों व हाथियों के झुण्डों के द्वारा आक्रमण का खतरा बढता जा रहा है। जिससे आम जन मानस के जीवन व स्वास्थ सुरक्षा को ह्रास होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जो धारा 152 बी0एन0एस0एस0 को आकर्षित करती है। अतः तहसीलदार डोईवाला देहरादून की आख्या दिनांक 11.12.2025 पर जिलाधिकारी महोदय, के निर्देश दिनांक 11.12.2025 के आधार पर BNSS की धारा **152** के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है।

BNSS की धारा **152** (क) के अनुसार **"किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए"**।

अतः विपक्षीगण परियोजना निदेशक पी0 आई0 यू0 **(NHAI)** कैम्प कार्यालय– 171/1 बसंत बिहार चकराता रोड़ देहरादून व प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून व अधिशासी अभियन्ता एन0एच0, खण्ड डोईवाला, पता– KIA Motors के सामने हरिद्वार बाईपास रोड़ देहरादून को धारा 152 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत आदेश जारी किया जाता है, कि वह इस सशर्त आदेश की तामिली के 07 दिन के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून पर हो रही गन्दगी (न्यूसेन्स) को हटाना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 19/12/2025 को अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में प्रातः 11:00 बजे स्वयं उपस्थित होकर कर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। आपके उपस्थित न होने की दशा में इस न्यायालय द्वारा उक्त वाद में एकपक्षीय रूप से अन्तिम आदेश पारित कर दिया जायेगा। और आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।

दिनांक–12 दिसम्बर, 2025

(हर गिरी)

उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर,

देहरादून।

प्रतिलिपि–प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली/बसन्त विहार,/नेहरू कॉलोनी देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक–एक प्रति उपरोक्त विपक्षीगणों पर तत्काल तामीली कराकर तामिली आख्या अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित् करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर,

देहरादून।